भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3817
दिनांक 12.08.2025 को उत्तरार्थ

राजस्व अभियान

3817.श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः
श्रीमती भारती पारधीः
श्री संजय उत्तमराव देशमुखः
श्री संजय हरिभाऊ जाधवः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, राजस्व अभियान के अंतर्गत विषयगत हस्तक्षेपों के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण में जिलावार कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त विषयगत दृष्टिकोणों का प्रभाव और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में "गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाले गाँव" या "स्वस्थ गाँव" जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करने में जमीनी स्तर पर उनकी भूमिका क्या है;

(ग) सरकार किस प्रकार राजस्व अभियान के अंतर्गत किए गए हस्तक्षेपों के वास्तविक प्रभाव की निगरानी ग्राम पंचायत स्तर पर, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, लोगों के जीवन की गुणवत्ता और सेवा वितरण पर कर रही है, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देशभर में पंचायतों के 'ओन सोर्स रेवन्यू' (ओएसआर) को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा राजस्व अभियान के अंतर्गत क्या पहल की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख) मंत्रालय के पास राजस्व अभियान नामक कोई कार्यक्रम या योजना नहीं है। तथापि, मंत्रालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के स्थानीयकरण की प्रक्रिया अपनाई है, जिसके तहत 17 एसडीजी को 9 विषयगत क्षेत्रों में समेकित किया गया है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य वर्ष 2030 तक सतत विकास एजेंडा को

जमीनी स्तर पर प्राप्त करना है, ताकि पीआरआई वैश्विक लक्ष्यों को स्थानीय शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप संरेखित कर सकें। यह विषयगत ढांचा एसडीजी को सरल, संदर्भ-विशिष्ट और समुदाय स्तर पर क्रियान्वयन योग्य बनाता है।

ये 9 विषय हैं – (i) गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका युक्त पंचायत, (ii) स्वस्थ पंचायत, (iii) बाल-हितैषी पंचायत, (iv) जल-पर्याप्त पंचायत, (v) स्वच्छ एवं हरित पंचायत, (vi) आत्मनिर्भर अवसंरचना युक्त पंचायत, (vii) सामाजिक रूप से सुरक्षित एवं सामाजिक न्याय युक्त, (viii) सुशासन युक्त तथा (ix) महिला-हितैषी पंचायत।

पुनर्गठित आरजीएसए के अंतर्गत निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों एवं अन्य हितधारकों को इन 9 विषयों के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि स्थानीय ग्रामीण संस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, विषय- 1 पर कुल 1,16,166 प्रतिभागियों और विषय-2 पर 85,616 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें मध्य प्रदेश में क्रमशः 817 और 189 तथा महाराष्ट्र में क्रमशः 1,007 और 1,216 प्रतिभागी सम्मिलित हैं। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक -I** संलग्न है।

विषयगत दृष्टिकोण अपनाए जाने के पश्चात, वर्ष 2023-24 से पंचायतों को इन विषयों के अनुरूप विषयगत 'संकल्प' लेते हुए थीम आधारित ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDPs) बनाने हेतु सलाह दी गई है, ताकि पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों एवं सभी प्रमुख योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से वर्ष 2030 तक एसडीजी प्राप्त किए जा सकें। योजना वर्ष 2025-26 के लिए 9 विषयों पर 'संकल्प' लेने वाली ग्राम पंचायतों का राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण **अनुलग्नक -II** में संलग्न है।

(ग) स्थानीयकृत एसडीजी लक्ष्यों एवं वर्ष 2030 एजेंडा की प्राप्ति की दिशा में जमीनी स्तर की संस्थाओं की प्रगति का आकलन एवं निगरानी करने हेतु मंत्रालय ने पंचायत प्रगति सूचकांक (Panchayat Advancement Index – PAI) विकसित किया है। यह सूचकांक एसडीजी के 9 विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय विकास संकेतकों पर आधारित है। इसका उद्देश्य, पंचायतों के विषयगत अंकों के आधार पर विकासगत अंतरालों की पहचान करना तथा स्थानीय स्तर पर साक्ष्य-आधारित योजना निर्माण को सक्षम बनाना है।

समय के साथ पीएआई के परिणाम, पंचायतों के प्रदर्शन में एसडीजी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई क्रमिक प्रगति को दर्शाएंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएआई संस्करण 1.0 दिनांक 9 अप्रैल 2025 को जारी किया गया, जिसमें 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की 2.16 लाख ग्राम पंचायतों/ समकक्ष पंचायतों के विषयगत एवं समग्र स्कोर सम्मिलित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों के स्कोर भी शामिल हैं। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के समग्र पीएआई अंक **अनुलग्नक -III** में तथा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतों के विषयगत एवं समग्र अंक **अनुलग्नक -III(क)** में दिए गए हैं।

पीएआई संस्करण 1.0 के आधारभूत आंकड़े 9 विषयगत क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों/ समकक्ष पंचायतों की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं और ग्रामीण जनों के जीवन स्तर तथा सेवा प्रदाय में सुधार हेतु साक्ष्य-आधारित योजनाओं की तैयारी में सहायक हैं।

(घ) पंचायतों की स्व-राजस्व (Own Source Revenue – OSR) क्षमता को बढ़ाने और उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने हेतु, मंत्रालय ने आईआईएम अहमदाबाद के सहयोग से एक विशेष ओएसआर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है। यह मॉड्यूल निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत पदाधिकारियों को कर एवं गैर-कर स्रोतों से राजस्व सृजन, स्थानीय संसाधन संकलन, कर अनुपालन में सुधार हेतु व्यवहारिक रणनीतियाँ, राजस्व पूर्वानुमान, परियोजना वित्तपोषण एवं नवाचारी वित्तीय विकल्पों के संबंध में ज्ञान प्रदान करता है। साथ

ही, यह ओएसआर योजना निर्माण को प्रभावी ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDP) की तैयारी से भी जोड़ता है।

वर्तमान पहल के तहत, ओएसआर मॉड्यूल पर दो चरणों में कुल 128 राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनरों (SLMTs) को प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षित एसएलएमटी का राज्य/केंद्रशासित प्रदेशवार विवरण **अनुलग्नक -IV** में संलग्न है।

पंचायतों के ओएसआर सृजन को बढ़ाने के लिए, राज्यों के साथ – साथ पंचायतों के प्रयासों की सहायता करने और उन्हे पूरा करने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय ने "समर्थ पंचायत पोर्टल" विकसित करके पंचायतों के ओएसआर संग्रहण को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह एक ओएसआर को समर्पित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो कर एवं गैर-कर माँगों के सृजन, कर-रजिस्टर के रखरखाव और राजस्व की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल को विकसित करते हुए विभिन्न राज्यों की राज्य-विशिष्ट आवश्यकताओं का खास तौर से ध्यान रखा गया है । इस डिजिटल सशक्तिकरण पहल का मुख्य उद्देश्य स्थानीय वित्त प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और मापनीयता लाना है। समर्थ पोर्टल का छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है।

ग्रामीण स्थानीय निकायों के स्वयं के राजस्व स्त्रोत (ओएसआर) पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अनुसार, 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ओएसआर संबंधी नियम और दिशानिर्देश तैयार कर लिए हैं, जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस विषय संबंधी नियम और दिशानिर्देश तैयार किए जाने बाकी हैं। इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ओएसआर संबंधी नियम तैयार कर लिए हैं, उन्हें अपने ओएसआर संबंधी नियमों में संशोधन या उन्हे अद्यतन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, मंत्रालय ने 10 जून 2025 को विभिन्न राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल करते हुए इसी संदर्भ में एक समिति का गठन किया है, जिसका उद्देशय पंचायतों के लिए एक आदर्श ओएसआर संबंधी नियम/ढांचा तैयार करना है, जो राज्यों के लिए अपने ओएसआर संबंधी नियमों को तैयार करने अथवा संशोधित करने में एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करेगा।

****

अनुलग्नक -I

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3817, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक

विषय 1 और 2 में आरजीएसए के तहत प्रशिक्षित कुल प्रतिभागी (वित्त वर्ष 2024-25)			
क्र.सं	**राज्य**	**विषय-1 (गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत)**	**विषय 2 (स्वस्थ पंचायत)**
1	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	449	578
2	आंध्र प्रदेश	24764	1538
3	अरुणाचल प्रदेश	282	145
4	असम	2463	4345
5	बिहार	24356	10235
6	छत्तीसगढ़	1576	458
7	गोवा	0	0
8	गुजरात	17551	4143
9	हरियाणा	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	441	348
11	जम्मू और कश्मीर	0	0
12	झारखंड	0	0
13	कर्नाटक	0	0
14	केरल	5216	3651
15	लद्दाख	0	0
16	मध्य प्रदेश	817	189
17	महाराष्ट्र	1007	1216
18	मणिपुर	0	0
19	मेघालय	4468	3531
20	मिजोरम	1362	352

21	नागालैण्ड	0	91
22	ओडिशा	129	11263
23	पंजाब	1502	0
24	राजस्थान	801	3428
25	सिक्किम	183	216
26	तमिलनाडु	21657	1056
27	तेलंगाना	0	0
28	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	0	335
29	त्रिपुरा	6323	383
30	उत्तर प्रदेश	193	189
31	उत्तराखंड	0	0
32	पश्चिम बंगाल	626	37926
	कुल	**116166**	**85616**

अनुलग्नक -II

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3817, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख) के उत्तर में संलग्न अनुलग्नक
विषयगत जीपीडीपी योजना वर्ष 2025-26 की तैयारी के लिए एलएसडीजी के 9 विषयों पर संकल्पित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ग्राम पंचायतों की गणना

क्र.सं	राज्य का नाम	कुल ग्राम पंचायत/ समकक्ष ग्राम पंचायत	संकल्प लेने वाले पंचायत/ समकक्ष ग्राम पंचायत की संख्या	विषय-1	विषय 2	विषय-3	विषय 4	विषय 5	विषय 6	विषय 7	विषय 8	विषय 9
1	जम्मू एवं कश्मीर	4291	4290	2139	415	101	252	260	168	131	237	753
2	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	422	201	103	853	889	1103	42	210	146
3	पंजाब	13241	13233	12297	42	58	14	129	1	312	2	452
4	उत्तराखंड	7795	7774	2809	221	110	577	160	334	78	2347	1196
5	हरियाणा	6225	6223	3743	294	64	172	642	95	540	85	680
6	राजस्थान	11226	11166	3226	412	272	1667	671	953	3597	106	434
7	उत्तर प्रदेश	57702	57654	9136	1646	1174	2964	6856	16573	1830	16730	1956
8	बिहार	8054	8052	287	397	215	924	1921	4610	70	196	212
9	सिक्किम	199	199	28	25	8	20	24	30	4	38	23
10	अरूणाचल प्रदेश	2108	2108	992	200	25	85	539	100	11	53	160

11	नागालैण्ड	1297	451	141	91	8	114	178	83	6	38	8
12	मणिपुर	3812	170	12	10	2	40	59	49	3	14	6
13	मिजोरम	842	816	0	0	0	0	0	816	0	0	0
14	त्रिपुरा	1176	1175	7	12	71	211	588	296	12	11	14
15	मेघालय	6814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	असम	2662	1987	15	36	196	62	121	1511	13	48	103
17	पश्चिम बंगाल	3339	3339	511	694	1011	38	70	875	472	838	783
18	झारखंड	4345	4344	434	132	151	773	501	2269	35	67	84
19	ओडिशा	6794	6793	390	224	739	1257	1208	2884	25	259	140
20	छत्तीसगढ़	11654	11622	2049	1022	846	1710	1350	903	788	1809	1181
21	मध्य प्रदेश	23011	22996	4272	1099	521	2690	1571	6521	2668	1860	2188
22	गुजरात	14622	14601	11543	612	76	120	96	1116	714	74	424
23	महाराष्ट्र	27907	27872	3935	1130	1968	5739	4882	8554	493	2657	1557
24	आंध्र प्रदेश	13325	13312	508	313	57	7984	3569	437	104	402	255
25	कर्नाटक	5953	5946	1235	1520	573	1920	1504	717	272	370	254

26	गोवा	191	191	101	17	0	9	40	5	2	3	14
27	लक्षद्वीप	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	केरल	941	941	106	98	146	73	167	92	85	183	89
29	तमिलनाडु	12525	12524	982	1122	148	5731	435	2508	1128	60	490
30	पुद्दुचेरी	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	264	68	5	7	4	4	9	33	1	5	5
32	तेलंगाना	12769	12676	1172	861	506	5807	7690	919	264	801	444
33	लद्दाख	193	191	30	48	5	6	33	6	0	7	60
34	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	38	38	0	3	1	14	3	1	1	0	15

विषय-1: गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका पंचायत, **विषय-2:** स्वस्थ पंचायत, **विषय-3:** बाल-अनुकूल पंचायत, **विषय-4**:जल-पर्याप्त पंचायत, **विषय-5:** स्वच्छ और हरित पंचायत, **विषय-6:** आत्मनिर्भर अवसंरचना वाली पंचायत, **विषय-7:** सामाजिक रूप से सुरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायसंगत पंचायत, **विषय-8:** सुशासन वाली पंचायत, **विषय-9:** महिला-अनुकूल पंचायत

अनुलग्नक : III

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3817, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पंचायत उन्नति सूचकांक संस्करण 1.0 वित्त वर्ष 2022-23 का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार समग्र स्कोर (प्रत्येक ग्रेड में पंचायतों की राज्यवार संख्या)

क्र. सं	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों / समकक्ष ग्राम पंचायत की कुल संख्या	प्रस्तुत आंकड़ों में ग्राम पंचायतों / समकक्ष ग्राम पंचायत की संख्या*	ग्रेड				
				ए +	ए	बी	सी	डी
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	70	70	0	0	14	55	1
2	आंध्र प्रदेश	13310	13310	0	4	5372	7830	104
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	0	0	63	1968	77
4	असम	2194	2183	0	1	1084	1097	1
5	बिहार	8053	8053	0	0	810	7148	95
6	छत्तीसगढ़	11643	11643	0	0	1239	8955	1449
7	गुजरात	14618	14618	0	346	13781	491	0
8	हरियाणा	6223	6223	0	0	339	5071	813
9	हिमाचल प्रदेश	3468	3328	0	1	673	2647	7
10	जम्मू एवं कश्मीर	4291	4291	0	2	1520	2746	23
11	झारखंड	4297	4281	0	0	375	3229	677
12	कर्नाटक	5921	5907	0	0	1644	4245	18
13	केरल	941	941	0	8	902	31	0
14	लद्दाख	193	193	0	0	82	111	0
15	लक्षद्वीप	10	10	0	0	4	6	0

16	मध्य प्रदेश	23011	23011	0	0	7912	14942	157
17	महाराष्ट्र	27849	27655	0	8	12242	14944	461
18	मणिपुर	3222	1976	0	0	11	1741	224
19	मिजोरम	834	834	0	0	86	731	17
20	ओडिशा	6794	6794	0	1	2865	3882	46
21	पंजाब	13239	10514	0	0	548	9784	182
22	राजस्थान	11207	10634	0	0	1580	8876	178
23	सिक्किम	199	199	0	0	145	54	0
24	तमिलनाडु	12525	12525	0	0	5557	6880	88
25	तेलंगाना	12768	12768	0	270	10099	2390	9
26	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	38	0	12	8	18	0
27	त्रिपुरा	1176	1176	0	42	728	406	0
28	उत्तर प्रदेश	57702	23207	0	4	6593	15373	1237
29	उत्तराखण्ड	7795	7795	0	0	1022	6741	32
	कुल	**255699**	**216285**	**0**	**699**	**77298**	**132392**	**5896**
*मेघालय, नागालैंड, गोवा, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल – इन पाँच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायत के समकक्ष की डेटा प्रस्तुत नहीं किया है।								

विभिन्न श्रेणियों का विवरण

वर्ग	ग्रेड
अचीवर (90-100)	A+
फ्रंट रनर (75-90)	A
परफोर्मर (60-75)	B
एस्पीरिएंट (40-60)	C
बिगीनर (40 से कम)	D

अनुलग्नक -III (क)

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3817, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

निष्पादन स्नैपशॉट: मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों के स्कोर				
वर्ग	**ग्रेड**	**जीपी की संख्या**	**विषय-1***	**विषय- 2****
अचीवर (90-100)	A+	0	0	673
फ्रंट रनर (75-90)	A	0	1501	15719
परफोर्मर (60-75)	B	9001	16159	5896
एस्पीरिएंट (40-60)	C	13958	5321	714
बिगीनर (40 से कम)	D	52	30	9
	कुल	23011	23011	23011
निष्पादन स्नैपशॉट: महाराष्ट्र ग्राम पंचायतों के स्कोर				
वर्ग	ग्रेड	ग्राम पंचायतों की संख्या	विषय-1*	विषय-2**
अचीवर (90-100)	A+	0	0	687
फ्रंट रनर (75-90)	A	7	841	16162
परफोर्मर (60-75)	B	13455	16692	9429
एस्पीरिएंट (40-60)	C	13995	10023	1307
बिगीनर (40 से कम)	D	198	99	70
	कुल	**27655**	**27655**	**27655**

* विषय-1: गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका पंचायत

** विषय-2: स्वस्थ पंचायत

अनुलग्नक -IV

लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3817, जिसका उत्तर दिनांक 12/08/2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के राजस्व स्रोत से राजस्व सृजन हेतु मॉड्यूल के अंतर्गत प्रशिक्षित प्रतिभागी की संख्या

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	उपस्थित प्रतिभागी की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8
2	अरुणाचल प्रदेश	2
3	असम	3
4	बिहार	3
5	छत्तीसगढ़	6
6	दादरा और नगर हवेली और दमन व दीव	1
7	गोवा	4
8	मणिपुर	2
9	हरियाणा	3
10	हिमाचल प्रदेश	5
11	जम्मू और कश्मीर	5
12	झारखंड	5
13	कर्नाटक	5
14	तेलंगाना	7
15	मध्य प्रदेश	6
16	महाराष्ट्र	7
17	गुजरात	5
18	मेघालय	2
19	नागालैण्ड	2
20	ओडिशा	5

21	पंजाब	5
22	राजस्थान	5
23	सिक्किम	2
24	तमिलनाडु	5
25	केरल	4
26	त्रिपुरा	2
27	उत्तराखंड	3
28	उत्तर प्रदेश	6
29	पश्चिम बंगाल	7
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
31	लद्दाख	1
	कुल	**128**

*****